

WESTERN RAILWAY

P.S.No.53/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 834/0 Vol. III

Date: 16.5.2011

All DRMs / CWMs & Units Incharge,
CI- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
CI- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
CI- GS-All India CBC Rly Empl. Assn, Mumbai.


Sub: Avenue of promotion for the post of Safaiwala Categories.
=====

A copy Railway Board's letter No. E(NG)I-2011/CFP/2 dt. 30.3.2011 is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter mentioned therein are circulated as under:-

Sr. No.	Railway Board's letter No. and date and R.E. No.	Circulated under this office letter No. and date and P.S. No.
1	E(NG)I-99/CFP/23 dt. 8.4.2002 (RBE No. 42/2002)	E(Engg)/615/0 dt. 14.5.2002 (P.S. No. 84/2002)
2.	E(NG)I-99/CFP/23 Vol. II dt. 24.4.2007 (RBE No. 68/2007)	EP925/0 Vol.II dt. 8/22.5.2007 (P.S. No. 65/2007)

Encl: As above


(S. Kademani)
For General Manager(E)

Copy Railway Board's letter No. E(NG)I-2011/CFP/2 dt. 30.3.2011 addressed to the General Manager (P), All Indian Railways and Others.

Sub: Avenue of promotion for the post of Safaiwala Categories.
=====

During the course of informal meeting between the Central Executive Committee of All India SC/ST Railway Employees Association and Railway Board held on 15.12.2010, it was raised under Item No. 13 that there are no provisions for promotion and change of category for the Safaiwala.

2. In the light of the above discussion, the matter has been examined. It is advised that regular selection wherever due and feasible should be conducted for promotion of Safaiwala from GP Rs. 1800 to GP Rs.1900 subject to fulfillment of other conditions as laid down for the purpose. Their cases may be also considered for induction into other department after selection as per extant procedure as contained in Board's letter No. E(NG)I-99/CFP/23 dt. 8.4.2002 as reiterated vide Board's letter No. E(NG)I-99/CFP/23 Vol. II dated 24.4.2007.

पी.एस.सं.53/2011

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी 834/0 भाग-III

दि. 16-05-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' झोन,मुंबई.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन, मुंबई.

विषय : सफाईवालों की कोटि के पदों पर पदोन्नति के अवसर।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 30.03.2011 के पत्र सं.ई (एन जी)I-2011/सीएफपी/2 की प्रति आपकी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

बोर्ड के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को निम्नानुसार परिपत्रित किया गया है।

क्र. सं	रेलवे बोर्ड के पत्र सं तथा दिनांक तथा आर बी.ई. सं.	इस कार्यालय का पत्र, दिनांक तथा पी.एस सं जिससे परिपत्रित किया गया।
1.	ई(एनजी)-I-99/सीएफपी /23 दि 8.4.2002 आर बी.ई. सं. 42/2002	ई (इजी)615/0 दि. 14.05.2002 पी एस सं 84/2002)
2.	ई(एनजी)-I-99/सीएफपी /23 दि 24.4.2007 आर बी.ई. सं. 68/2007	ई पी 925/0 भाग II दि. 8/22.05.2007 पी एस सं 65/2007)

संलग्न : यथोक्त

234

(एस कडेमणी)

कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यो को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (एन जी) I-2011/सीएफपी/2 दिनांक 30.3.2011 की प्रतिलिपी।

विषय : सफाईवालों की कोटि के पदों पर पदोन्नति के अवसर।

ऑल इंडिया अनुसिचित जाति / अनुसिचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन की सेंडल एजीक्यूटिव समिती तथा रेलवे बोर्ड के बीच दिनांक 15.12.2010 को हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान मद सं. 13 के अंतर्गत यह मुद्दा उठाया गया था कि सफाईवालों के लिए पदोन्नति तथा कोटि में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

2. उपर्युक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि सफाईवालों की ग्रेड पे रू 1800/- के ग्रेड पे रू 1900/- में पदोन्नति के लिए नियमित चयन, जहां कहीं भी किया जाना हो तथा व्यावहार्य हो, किया जाए, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए यथा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होती हो। बोर्ड के दिनांक 8.4.2002 के पत्र सं. इ(एनजी) I-99/सीएफपी/ 23 में अंतर्विष्ट वर्तमान प्रक्रिया जिसे बोर्ड के दिनांक 24.4.2007 के पत्र सं इ(एनजी) I-99/सीएफपी/ 23 वॉल्यूम II द्वारा दोहराया गया है के अनुसार चयन के बाद अन्य विभागों में प्रवेश के लिए भी उनके मामलों पर विचार किया जाए।

कृपया पावती दें।